न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 64/2018 एल.आर.एक्ट

1. मु0 कुलविन्द्रकौर पत्नी मंगतसिंह जाति रामदासिया निवासी वार्ड नं02 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ।
2. प्रीतपालसिंह
3. मनजीतकौर पि0 मंगतसिंह जाति रामदासिया निवासीगण
4. अमृतपालसिंह वार्ड नं02 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

5. बलदेवसिंह पुत्र प्यारासिंह
6. कुलदीपसिंह पुत्र प्यारासिंह निवासीगण वार्ड नं02 पदमपुर
7. गुरमीतसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह जिला श्रीगंगानगर ।

अपीलान्ट्स

....

बनाम

1. मु0 दीपो
2. मु0 सन्तो
3. मु0 शीला पिसरान गंगासिंह पुत्र सूबासिंह जाति रायसिख
4. केहरसिंह निवासीगण कोनी तहसील श्रीकरणपुर जिला
5. दुल्लासिंह श्रीगंगानगर ।
6. शेरसिंह
7. मु0 शिमला पुत्री प्रीतो पुत्री गंगासिंह पुत्र सुबासिंह जाति रायसिख सा0 कोनी तहसील श्रीकरणपुर ।
8. मु0नीमो पुत्री प्रीतो पुत्री गंगासिंह सा0 कोनी तहसील करणपुर ।
9. सतनामसिंह पुत्र प्रीतो पुत्री गंगासिंह सा0 कोनी तहसील करणपुर ।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान ।

..........रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः 1– श्री रामचन्द्रसिंह भाटी – अभिभाषक अपीलान्ट्स ।
2– श्री करणसिंह – अभिभाषक अपीलान्ट सं07
3– श्री महावीर शर्मा – अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 9
4– श्री सुरेश मोहता– अभिभाषक रेस्पो0 2 ता 9
5– श्री सुभाष सहू– राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 20.5.2019

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 29.8.2018, जिसके द्वारा रेस्पोन्डेंट्स दीपो वगैरह की प्रथम अपील सं0 4/2016 स्वीकार करते हुए न्यायालय तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा विरास्तन नामान्तरकरण सं0 265 पर दिये गये

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आदेश दिनांक 21.8.12 निरस्त कर अपीलाधीन इन्तकाल गंगासिंह के वारिसान के नाम स्वीकृत करने का आदेश दिया गया, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

2. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोन्डेंट को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया । प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी ।

3. अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखत बहस प्रस्तुत कर मुख्य रुप से अपनी बहस में बताया कि चक 14 एस तहसील करणपुर की विवादित 12 बीघा भूमि गंगासिंह पुत्र सूबासिंह जाति रायसिख निवासी चक 14 एस तहसील करणपुर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । गंगासिंह ने उक्त आवंटित भूमि जरिये पंजीबध्द बैयनामा दिनांक 18.2.1969 द्वारा अपीलान्ट्स के पूर्वज प्यारासिंह पुत्र हरिसिंह जाति रामदासिया निवासी चक 14 एस को जरिये पंजीकृत दस्तावेज द्वारा विक्रय कर दी एवम् कब्जा सुपुर्द कर दिया, तब से प्यारासिंह के वारिसान (अपीलान्ट्स) का विवादित भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। सिंचाई पानी की पर्ची अपीलान्टान के नाम है । अपीलान्टान के पक्ष में किये गये बैयनामा दिनांक 18.2.69 को निरस्त करवाने के लिए रेस्पोन्डेंट की ओर से न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, श्रीकरणपुर के समक्ष वाद सं0 40/2017 अनवान शेरसिंह बनाम बलदेवसिंह पेश किया हुआ है, जो वर्तमान में जेरकार है । मूल अलोटी गंगासिंह का देहान्त होने के पश्चात रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 9 के द्वारा तहसीलदार, करणपुर के समक्ष विरास्तन इन्तकाल हेतु प्रयास किया, जिस पर पटवारी हल्का ने विरास्तन इन्तकाल सं0 265 भरा जाकर पेश किया, जिसमें भू0अ0 निरीक्षक द्वारा टिप्पणी की गयी कि रकबा बेचाने. होने पर विवादग्रस्त है । इस टिप्पणी के आधार पर तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा दिनांक 21.8.2012 को नामान्तरकरण सं0 265 निरस्त कर दिया, जिसके विरुध्द रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 9 के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर के समक्ष प्रथम अपील सं0 4/2016 पेश की गयी, जिसमें न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकार की कानूनी विवेचना किये रेस्पोन्डेंट्स की अपील स्वीकार कर विरास्तन नामान्तरकरण सं0 265 स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में गंगासिंह के वारिसान के नाम प्रविष्ट करने के आदेश दिये हैं । जबकि इन्तकाल सं0 265 विवादित होने से इसके विरुध्द प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर के न्यायालय में ग्राह्य योग्य नहीं थी, क्योंकि नामान्तरकरण सं0 265 विवादित होने से तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 21.8.12 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के अन्तर्गत पारित किया गया आदेश माना जावेगा, जिसके विरुध्द प्रथम अपील सम्भागीय आयुक्त न्यायालय में संधारण योग्य थी। इसके अलावा नामान्तरकरण सं0 265 पर पारित किये गये अस्वीकृति आदेश दिनांक 21.8.12 के विरुध्द रेस्पोन्डेंट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगगानगर के न्यायालय में 4 वर्ष के लम्बे अन्तराल बाद प्रथम अपील पेश की गयी, जो मियाद बिन्दु पर ही निरस्त योग्य थी । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी सन्तोषजनक कारण का उल्लेख किये अपील अपीलान्ट स्वीकार की गयी, जो निरस्त योग्य है।

4. अभिभाषक अपीलान्ट्स आगे अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट्स के पक्ष में किये गये बैयनामा दिनांक 18.2.69 किसी भी सक्षम न्यायालाय से निरस्त नहीं किया गया है, जबकि रेस्पोन्डेंट्स द्वारा बैयनामा को निरस्त करवाने के लिए न्यायालाय सिविल न्यायाधीश श्रीकरणपुर के समक्ष नियमित वाद सं0 40/2017 अनवानी शेरसिंह बनाम बलदेवसिंह पेश कर रखा है, जो जेरकार है । इसी प्रकार विक्रय पत्र को शून्य करवाने

सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर

एवं अधिकारों की घोषणा के लिए रेस्पोन्डेंट द्वारा उपखण्ड न्यायालय श्रीकरणपुर में वाद सं0 110/2014 अनवानी केहरसिंह बनाम मंगतसिंह पेश किया हुआ है, जो जेरकार है । दौराने वाद नामान्तरकरण की कार्यवाही किया जाना वर्जित हाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बैयनामा को अवैध एवम् शून्य मान लिया । जबकि नियमित वाद जेरकार होने पर नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिए थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम अपील स्वीकार कर कानूनी भूल की है । अभिभाषक अपीलान्ट्स ने प्रार्थना पत्र ऑर्डर 41 रुल 27 सीपीसी प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज पेश कर आगे अपनी बहस में बताया कि पूर्व में मूल आवंटी एवं विक्रेता गंगासिंह ने खरीददार प्यारासिह के विरुध्द जिला पुनर्वास अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष धारा 19(2) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें जिला पुनर्वास अधिकारी के आदेश दिनांक 21.9.81 द्वारा भूमि रिसीवार की जाकर दिनांक 11.6.84 को प्रार्थना पत्र निर्णीत किया । इस पर खरीददार प्यारासिंह ने उक्त निर्णय के विरुध्द प्राधिकृत चीफ सैटलमेंट कमिश्नर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष निगरानी सं0 46/1987 दायर की गयी, जो निर्णय दिनांक 6.9.1993 द्वारा स्वीकार की जाकर पत्रावली जिला पुनर्वास अधिकारी, श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गयी कि राज्य सरकार के सरकूलर दिनांक 16.10.1987 के अनुसार बाद जांच उचित कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं । जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के उक्त आदेशों के अनुसार रिसीवरी आदेश निरस्त किया जाकर कब्जा पुनः अपीलान्टान को सुपुर्द किया गया है । वर्ष 2005 में डीपी एक्ट रिपील होने के पश्चात क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को सौंपा गया है । राज्य सरकार का सरकूलर दिनांक 16.10.87 के अनुसार क्रय शुदा भूमि नियमितिकरण का प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय में विचाराधीन है । रेस्पोन्डेंट द्वारा जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 6.9.93 को कहीं भी चैलेंज नहीं किया है, जो कस्टोडियम भूमि से सम्बन्धित अन्तिम निर्णय है । विवादित भूमि पर अपीलान्टान का लम्बे समय से कब्जा है अतः कब्जे के आधार पर रेस्पोन्डेंट्स के अधिकार स्वतः ही समाप्त हो चुके हैं । अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बताया कि बैयनामा के सम्बन्ध में समस्त हक व अधिकार सिविल न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय के समक्ष जेरकार वाद में निर्धारित होने हैं । नामान्तरकरण की कार्यवाही में ये तथ्य तय नहीं किये जा सकते हैं । अपीलान्टान के बेचान नियमिति करण का प्रकरण उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष जेरकार है । जब तक बैयनामा सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता, तब तक नामान्तरकरण के जरिये रेस्पोन्डेंट को कोई हक हासिल नहीं होते हैं । अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपने कथन के समर्थन में नजीरें आरबीजे.(11)2004, आरआरटी 2016(2) पेज–900, आरआरडी 2006 पेज 192, आरआरटी 2002(1) पेज 77, आरआरडी मार्च2006 पेज 128, डीएनजे (एससी)2019 पेज 131, आरआरटी 2004(1) पेज 454, आरआरटी 2017(1) पेज 117, आरआरडी 1995 पेज 120, आरआरटी 2016–17 (सप)पेज 459, आरआरडी 1990 पेज 514, आरआरडी 1998 पेज 370, आरएलडब्लू 2009(1)आरजे पेज 481, 2018 (2) डीएनजे(राज) पेज 833, आरआरटी 2012 (1) पेज 374–375, आरआरडी 1992 पेज 304 अवलोकनीय बताते हुए अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.8.18 निरस्त करने हेतु निवेदन किया ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. अभिभाषकगण रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 9 का बहस में मुख्य रुप से कथन है कि रेस्पोन्डेंट के पूर्वज गंगासिंह पुत्र साबूसिंह को हिन्द–पाक विभाजन पर भारत सरकार के पुनर्वास विभाग से चक 14 एस तहसील श्रीकरणपुर के मु0नं0 29 व 30 का कुल 3.035 हैक्टेयर रकबा आवंटित किया गया, जिसको गंगासिह कभी खुद काश्त करता कभी हिस्सा ठेका पर अन्य लोगों से काश्त करवाता था । रकबा की खातेदारी सनद अभी तक जारी नहीं हुई है । इस प्रकार गैरखोदारी रकबा को किसी प्रकार से मुन्तकिल नहीं किया जा सकता था, किन्तु अपीलान्ट्स के पूर्वज प्यारासिंह द्वारा कूटरचित रिकॉर्ड बनाकर रकबा हड़पने की कोशिश की गयी, जबकि उसका कोई अधिकार नहीं था । यह कि गंगासिंह का देहान्त होने के पश्चात विरास्तन इन्तकाल की कार्यवाही के अन्तर्गत रेस्पोन्डेंट द्वारा ग्राम पंचायत से जारी वारिस प्रमाण पत्र पटवारी हल्का को प्रस्तुत करने पर पटवारी हल्का द्वारा मजमे आम में वारिसान की जांच की गयी । उक्त जांच के पश्चात अपीलान्ट्स को यह विश्वास रहा कि इन्तकाल हो चुका है । किन्तु बाद में जमाबन्दी की नकल लेने की कोशिश की तो पता चला कि भूमि अभी तक गंगासिंह के नाम दर्ज है एवं पटवारी हल्का ने बताया कि इन्तकाल अस्वीकृत कर दिया गया है, जबकि वारिस प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट था कि रेस्पोन्डेंट्स मृतक गंगासिंह के वारिस है, इसलिए विरास्तन इन्तकाल करने में कोई कानूनी बाधा नहीं थी । तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा निरीक्षक हल्का की रिपोर्ट पर पर इकतरफा तौर पर पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया इन्तकाल सं0 265 अस्वीकृत किया गया है । यदि रकबा विवादित होता तो प्यारासिंह आदि स्वयं उपस्थित होकर आपत्ति पेश करते । किन्तु तहसीलदार द्वारा रेस्पोन्डेंट की सुनवाई किये बिना ही पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया विरास्तन इन्तकाल आदेश दिनांक 21.8.12 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, जिसकी लिखित सूचना रेस्पोन्डेंट को नहीं दी गयी । तहसीलदार, करणपुर द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश दिनांक 21.8.12 के विरुध्द रेस्पोन्डेंट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) में प्रथम अपील सं0 4/2016 पेश की गयी, जिसमें विलम्ब का सन्तोषजनक कारण उल्लेखित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद को कन्डोन करते हुए निर्णय दिनांक 29.8.18 द्वारा अपीलान्ट की प्रथम अपील स्वीकार की गयी है । तहसीलदार, श्रीकरणपुर द्वारा रेस्पोन्डेंट्स की गैर हाजरी में आदेश दिनांक 21.8.12 पारित किया जाने से इसकी प्रथम अपील न्यायालय अति.जिला कलक्टर (सतर्कता) के यहां दायर की गयी है। प्रकरण में विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट्स द्वारा जो जमाबन्दी पेश की गयी है, वह गंगासिह के नाम की है, जिसमें गंगासिंह को कस्टोडियन अलोटी गैर खातेदार दर्शाया है । विवादित भूमि आज भी गंगासिंह के नाम से दर्ज है तथा बकाया किश्तें भी गंगासिंह के नाम से जमा हुई है । यह कि गंगासिंह ने कोई विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया है । गंगासिंह द्वारा दिनांक 4.9.79 को आवंटन के सम्बन्ध में घोषणा पत्र पेश किया गया है। अपीलान्ट्स जो अपने आपको विवादित भूमि का खरीददार बताते हैं, वर्ष 2012 तक जमीन गंगासिंह के नाम से दर्ज थी, तब तक अपीलान्ट्स द्वारा किसी भी न्यायालय में कोई एतराज पेश नहीं किया गया है । यह कि अपीलाधीन भूमि गैरखातेदारी थी । गैरखातेदारी भूमि को बेचान का अधिकार नहीं है, तथा ऐसा विक्रय प्रारम्भ से ही शून्य एवम् अवैध है । इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेंट्स की प्रथम अपील स्वीकार की गयी है । अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1992 पेज 667, आरआरडी 1988 पेज 78, आरआरडी 1985 पेज 342,

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आरआरडी 1988 पेज 11, आरआरडी 2015 पेज 345 एवं आरआरडी 1968 पेज 598 अवलोकनीय बताया एवं अपील अपीलान्ट्स खारिज करने हेतु निवेदन किया ।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया प्रकरण अनुसार रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 9 के पूर्वज गंगासिंह पुत्र साबूसिंह जाति रायसिख के नाम से चक नं0 14 एस तहसील श्रीकरणपुर के मु0नं0 29 का 0.67 हैक्टेयर, मु0 नं0 30 का 2.403 हैक्टेयर, मु0नं0 70/25 में 0.025 हैक्टेयर गै.मु. खाला, कुल 3.035 हैक्टेयर रकबा कस्टोडियन अलोटी गैर खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । अलोटी गंगासिंह का दिनांक 15.9.02 को देहान्त हो जाने के पश्चात् उसके वारिसान द्वारा मुताबिक सरपंच, ग्राम पंचायत के वारिस प्रमाण पत्र अनुसार पटवारी हल्का द्वारा वारिसान की जांच के पश्चात दिनांक 22.6.2012 को विरास्तन का इन्तकाल सं0 265 भर पर पेश किया, जिस पर निरीक्षक हल्का द्वारा दिनांक 22.6.12 एवं 17.7.2012 को नोट लगाया कि रकबा बेचान हो चुका है तथा रकबा विवादित होने से इन्तकाल काबिल खारिज है । निरीक्षक हल्का की उक्त रिपोर्ट के मुताबिक तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा उक्त विरास्तन इन्तकाल सं0 265 दिनांक 21.8.12 के आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया । तहसीलदार, श्रीकरणपुर द्वारा इन्तकाल सं0 265 की पुश्त पर पारित किये गये आदेश दिनांक 21.8.2012 के विरुध्द रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 9 दीपो वगैरह द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर के समक्ष प्रथम अपील सं0 4/2016 अनवान दीपो वगैरह बनाम स्टेट पेश की गयी, जिसमें अपीलान्ट्स कुलविन्द्रकौर वगैरह के प्रार्थना पत्र ऑर्डर-41 नियम 20 पर न्यायालय द्वारा इन्हें अपील में पक्षकार बनाया गया । तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई के पश्चात अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.8.2018 पारित कर रेस्पोन्डेंट दीपो वगैरह की प्रथम अपील स्वीकार की जाकर विवादित रकबा गैर खातेदारी का होने से उसका बेचान प्रारम्भ से शून्य एवम अवैध बताया एवम् तहसीलदार, श्रीकरणपुर द्वारा विरास्तन इन्तकाल पर दिया गया आदेश दिनांक 21.8.12 निरस्त कर अलोटी गंगासिंह के वारिसान के नाम इन्तकाल स्वीकृत करने का आदेश दिया । न्यायालय अति.जिला कलक्टर (सतर्कता) द्वारा पारित किये गये उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.8.18 के विरुध्द अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील पेश की गयी है ।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । उपलब्ध दस्तावेजात, पत्रावलियों एवं न्यायिक दृष्टान्तों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार है :-

I. अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में प्रथम आधार यह लिया है कि नामान्तरकरण सं0 265 विवादित होने से तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा इन्तकाल सं0 265 पर पारित किया गया आदेश दिनांक 21.8.12 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के अन्तर्गत पारित किया गया आदेश माना जावेगा, जिसके विरुध्द प्रथम अपील सम्भागीय आयुक्त न्यायालय में संधारण योग्य थी। न्यायालय के अनुसार विवादित भूमि मूल आवंटी गंगासिंह के नाम से दर्ज थी एवं गंगासिंह का देहान्त होने के पश्चात पटवारी हल्का ने वारिसान की जांच के पश्चात विरास्तन इन्तकाल सं0 265 दर्ज कर निरीक्षक हल्का को पेश किया तथा तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा निरीक्षक हल्का की रिपोर्ट अनुसार इकतरफा तौर पर पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया इन्तकाल सं0 265 अस्वीकृत किया

सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर

गया है । जबकि इन्तकाल विवादित होने के सम्बन्ध में अपीलान्ट्स की ओर से तहसीलदार के समक्ष कोई आपत्ति पेश नहीं की गयी है । अपीलान्ट्स द्वारा क्षेत्राधिकार का बिन्दु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया है । प्रकरण में तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा निरीक्षक हल्का की रिपोर्ट पर इकतरफा आदेश दिनांक 21.8.12 पारित कर नामान्तरकरण सं0 265 अस्वीकृत किया गया है, जिसकी प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतकर्ता) श्रीगंगानगर के यहां संधारण योग्य होने से क्षेत्राधिकार में थी । अतः अपीलान्ट्स का अपील में लिया गया यह प्रथम आधार स्वीकार योग्य नहीं है ।

II. अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में द्वितीय आधार यह लिया है कि तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा अस्वीकृत किये गये नामान्तरकरण सं0 265 पर पारित किये गये आदेश दिनांक 21.8.12 के विरुध्द रेस्पोन्डेंट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगगानगर के न्यायालय में 4 वर्ष के लम्बे अन्तराल बाद प्रथम अपील पेश की गयी, जो मियाद बिन्दु पर ही निरस्त योग्य थी । न्यायालय के अनुसार तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा केवल निरीक्षक हल्का की रिपोर्ट पर विरास्तन नामान्तरकरण सं0 265 की बिना तथ्य की जांच किये, बिना आपत्ति पेश हुए इकतरफा तौर पर अस्वीकृत किया गया है । एकपक्षीय आदेश में लिमिटेशन जानकारी की दिनांक से शुरु होता है । प्रकरण में मियाद के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन के पश्चात सन्तोषजनक कारण के अधार पर न्यायहित में विलम्ब को कन्डोन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार से परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है । अतः अपीलान्ट का अपील में लिया गया द्वितीय आधार स्वीकार योग्य नहीं है ।

III. अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में तृतीय आधार यह लिया है कि प्रकरण में दौराने वाद नामान्तरकरण की कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर की गयी है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने बैयनामा को शून्य मान लिया जबकि अपीलान्ट्स के पक्ष में किये गये बैयनामा दिनांक 18.2.69 को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, बैयनामा के सम्बन्ध में समस्त हक व अधिकार सिविल न्यायालय के समक्ष जेरकार राजस्व वाद सं0 40/2017 एवं उपखण्ड न्यायालय श्रीकरणपुर के समक्ष जेरकार वाद सं0 110/2014 में निधारित होने हैं । इसके अलावा जिला कलक्टर एवं चीफ सैटलमेंट कमिश्नर श्रीगंगानगर के निर्णयानुसार अपीलान्टान के बेचान नियमितिकरण का प्रकरण भी उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष जेरकार है ।

हम अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि प्रकरण में दौराने वाद नामान्तरकरण की कार्यवाही की गयी है । रिकॉर्ड के अवलोकन अनुसार विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गंगासिह के नाम से दर्ज थी एवम् और गंगासिंह का देहान्त होने के पश्चात् उसके वारिसान (रेस्पोन्डेंट्स) ने सरपंच, ग्राम पंचायत से वारिस प्रमाण पत्र प्राप्त कर पटवारी हल्का को दिया, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा मजमे–आम में वारिसान की जांच के पश्चात् इन्तकाल सं0 265 दिनांक 22.6.12 को दर्ज किया गया। रिकॉर्ड के अनुसार उक्त नामान्तरकरण दर्ज की गयी दिनांक 22.6.12 को नियमित/राजस्व वाद न्यायालय में पेंडिंग नहीं था। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा नियमानुसार दर्ज किये गये विरास्तन इन्तकाल सं0 265 पर निरीक्षक हल्का द्वारा रकबा बेचान

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

होने की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार करणपुर द्वारा उक्त नामान्तरकरण सं0 265 अस्वीकार किया गया, जिसकी रेस्पोन्डेंट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) के समक्ष की गयी, जिसमें न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार रेस्पोन्डेंट की प्रथम अपील इस आधार पर स्वीकार की गयी है कि गैर खातेदारी रकबा का बेचान प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है। न्यायालय के अनुसार यह तथ्य निर्विवाद है कि वर्तमान में रेस्पोन्डेंट्स द्वारा बैयनामा को निरस्त करवाने के लिए न्यायालाय सिविल न्यायाधीश श्रीकरणपुर के समक्ष नियमित वाद सं0 40/2017 अनवानी शेरसिंह बनाम बलदेवसिंह पेश कर रखा है, जो जेरकार है । इसी प्रकार विक्रय पत्र को शून्य करवाने एवं अधिकारों की घोषणा के लिए रेस्पोन्डेंट द्वारा उपखण्ड न्यायालय श्रीकरणपुर में वाद सं0 110/2014 अनवानी केहरसिंह बनाम मंगतसिंह पेश किया हुआ है, जो जेरकार है । इसी प्रकार जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा निगरानी सं0 46/1987 में पारित रिमाण्ड प्रकरण भी विचाराधीन है ।

IV. न्यायालय का निष्कर्ष है कि विक्रय पत्र को निरस्त कराने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है एवं बैयनामा दिनांक 13.2.69 को शून्य, निष्प्रभावी की डिक्री प्राप्त करने हेतु वर्तमान में सिविल न्यायालय में वाद सं0 40/2017 अनवान शेरसिंह बनाम बलदेवसिंह आदि न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायालधीश श्रीकरणपुर में विचाराधीन है। अतः वादों की बहुलता को रोकने के लिए जब तक सिविल न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र के सम्बन्ध में अन्तिम रुप से निर्णय नहीं किया जाता, तब तक उक्त प्रकरण में अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता है। प्रकरण में न्यायालय अति. जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर द्वारा पत्रावली का सही अवलोकन कर अपना निष्कर्ष दिया है कि विक्रेता की हैसियत भूमि पर गैरखातेदार की रही है तथा गैरखातेदार भूमि का बेचान नहीं कर सकता है । ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.8.18 में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः न्यायालय अति. जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.8.18 यथावत रखते हुए यह अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है । चूंकि नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रक्रिया है एवम् प्रकरण में सिविल न्यायालय के निर्णयानुसार अन्तिम रुप से कार्यवाही होनी है । अतः जब तक सिविल न्यायालय का अन्तिम रुप से निर्णय नहीं हो जाता है तब तक विवादित भूमि के मौका व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत रखी जावे एवं किसी भी पक्षकार द्वारा विवादित भूमि का किसी प्रकार से रहन-बैय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करने के आदेश दिये जाते हैं । उक्त आदेश का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर पालना की जावे ।

8. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.5.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर